रामू गोप और कुछ अन्य

बनाम

बिहार राज्य

(Ramu Gope and Others

V.

The State of Bihar)

(29 अक्टूबर, 1968)

(न्या० जे० सी० शाह, वी० रामस्वामी और ए० एन० ग्रोवर)

भारतीय दण्ड संहिता, 1860, धारा 149, 302––सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में 'ह' की धारा 302 के अधीन और अन्य व्यक्तियों की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि––उच्च न्यायालय ने अपील में 'ह' को दोषमुक्त कर दिया किन्तु अन्य व्यक्तियों की दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी––क्या दोषसिद्धि का समर्थन हो सकता है ?

अपीलार्थियों का और एक हरिहर नामक व्यक्ति का इस आरोप पर विचारण किया गया कि 2 जुलाई, 1962 को उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव किया था और उस विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, अर्थात् जिन ढोरों ने बुधिया की मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया था और जिन्हें इस कारण ग्रामवासियों ने रोक लिया था अपने उन ढोरों को छुड़ाने के लिए, छुड़ाने का प्रतिरोध करने वाले व्यक्तियों पर हमला किया और बुधिया सहित अनेक व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचाई जिनके परिणामस्वरूप बुधिया की मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने कतिपय साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि हरिहर ने भाले से बुधिया को क्षतियां पहुंचाई थीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अतः उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए हरिहर को और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया। उच्च न्यायालय ने अपील में हरिहर को दोषमुक्त कर दिया क्योंकि न्यायालय को विधि विरुद्ध जमाव में उसकी उपस्थिति के बारे में सन्देह था किन्तु अन्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी।

इस न्यायालय में अपील करने पर अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई थी कि हरिहर की दोषमुक्ति के कारण विधि के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अन्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का समर्थन नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष का कहना था कि हरिहर बुधिया की मृत्यु करने के लिए उत्तरदायी

था और क्योंकि उसे दोषमुक्त कर दिया गया था इसलिए अपीलार्थियों को, जिन पर विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य में भाग लेने का आरोप लगाया गया था, विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध से उत्पन्न होने वाले प्रतिनिहित दायित्व (vicarious liability) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता ।

अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित––इस आधार पर कि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हरिहर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं था भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का आदेश अवैध नहीं हो जाता ।

अभिलेख पर स्पष्ट साक्ष्य है जिससे यह दर्शित होता है कि बुधिया उन लोगों में से एक थी जिन पर विधि विरुद्ध जमाव ने हमला किया था। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के अनुसार यह अभिनिश्चय नहीं किया जा सकता कि किस अपराधी ने बुधिया को क्षतियां पहुंचाई ।

विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों में नामित अपराधी की उपस्थिति साबित न कर सकने से उन व्यक्तियों की आपराधिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिनके बारे में यह साबित कर दिया गया है कि वे उस जमाव के सदस्य थे––यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के लागू होने की अन्य शर्तें सिद्ध कर दी गई हैं ।

दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1966 की सं० 145 वाली दाण्डिक अपील ।

1963 की संख्या 231 वाली दाण्डिक अपील में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 29 जनवरी, 1966 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर की गई अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री डी० गोवर्धन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री बी० पी० झा

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति जे० सी० शाह ने दिया ।

न्यायाधिपति शाह––

2 जुलाई, 1962 की दोपहर में घातक आयुधों से लैस (armed with lethal weapons) लगभग 30 व्यक्तियों के विधि विरुद्ध जमाव ने मानकी खन्धा के खेती के कामों में लगे हुए कुछ ग्रामवासियों पर हमला किया और 6 व्यक्तियों को क्षति पहुंचाई। हमले के कुछ ही घण्टे बाद आहत व्यक्तियों में से एक, बुधिया, की क्षतियों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। इस अपील के सात अपीलार्थियों और हरिहर गोप का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149, 147, 148, 323, 324 के साथ पठित धारा 302, 325 के साथ पठित धारा 34 और 326 के अधीन अपराधों के लिए पटना के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव और बलवा किया था और उसे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य (common object) को अग्रसर करने में अर्थात् अपने उन ढोरों को छुड़ाने

के लिए जिन्होंने बुधिया की मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया था और जिन्हें इस कारण ग्रामवासियों ने रोक लिया था और छुड़ाने का प्रतिरोध करने वाले व्यक्तियों पर हमला करने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचाईं जिनके परिणामस्वरूप बुधिया की मृत्यु हो गई। सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन साक्षी 5, 8, 12 और 18 के साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि हरिहर गोप ने भाले से बुधिया को क्षति पहुंचाई थीं जिसका परिणाम हुआ उसकी मृत्यु। तदनुसार उसने हरिहर गोप के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए और अन्य अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि का आदेश पारित किया।

पटना उच्च न्यायालय ने अपील में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए हरिहर गोप को दोषमुक्त कर दिया क्योंकि उन्हें यह संदेह था कि प्रश्नगत विधि विरुद्ध जमाव में हरिहर गोप उपस्थित था या नहीं। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि हरिहर गोप दूसरे गांव का निवासी था और इसकी कोई वजह नहीं है कि वह क्यों अपने ढोरों को माननकी खन्धा ग्राम में चराने के लिए लाएगा। और यह कि हरिहर गोप का नाम उस प्रथम इत्तिला में नहीं दिया गया था जो पुलिस थाने में उन साक्षियों की उपस्थिति में दर्ज की गई थी जिन्होंने हरिहर गोप द्वारा बुधिया पर किए गए हमले के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। राज्य ने इस दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की है। तथापि उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अन्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी है।

इस न्यायालय में अपीलार्थियों के काउन्सेल ने यह दलील दी है कि हरिहर गोप के पक्ष में उच्च न्यायालय ने जो दोषमुक्ति का आदेश पारित किया है उसके कारण, विधि के अनुसार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अन्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का समर्थन नहीं हो सकता। काउन्सेल का तर्क है कि यदि हरिहर गोप को, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार बुधिया की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उन अपीलार्थियों को, जिन पर विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य में भाग लेने का आरोप लगाया गया था, विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध से उत्पन्न होने वाले प्रतिनिहित दायित्व के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता। इस दलील में कोई सार नहीं है। अभियोजन पक्ष के मामले का यदि विश्लेषण किया जाए तो इसके चार भाग हैं— (1) कि 30 व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव था और उसका सामान्य उद्देश्य माननकी खन्धा के ग्रामवासियों द्वारा निरुद्ध ढोरों को बलपूर्वक छुड़ाना और जो उसका प्रतिरोध करें उन सब को मारना था, (2) कि माननकी खन्धा के छह ग्रामवासियों को विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा पीटा गया और बुधिया को जो क्षतियां पहुंची थीं उनके परिणामस्वरूप वह मर गई, (3) कि विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा छह आहत व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचाई गईं यह क्षतियां ऐसी थीं कि जमाव के सदस्य जानते थे कि उनके होने की सम्भाव्यता है, (4) कि हरिहर गोप विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था और उसने उस जमाव के सामान्य

उद्देश्य को अग्रसर करने में बुधिया को क्षतियां पहुंचाई और उसके परिणामस्वरूप वह मर गई। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का परिणाम यह है कि पहले तीन भाग तो सिद्ध हो गए हैं किन्तु अन्तिम भाग सिद्ध नहीं हुआ है। किन्तु उस आधार पर हम यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकते कि वे अपीलार्थी जिनके बारे में यह साबित कर दिया गया है कि वे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के दायित्व से बच जाते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष से यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि बुधिया को पहुंचाई गई घातक क्षतियां विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य ने पहुंचाई थीं और वे ऐसी थीं कि जमाव के सदस्य जानते थे कि विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में होने की सम्भाव्यता है। किन्तु राज्य यह सिद्ध नहीं कर पाया कि हरिहर गोप ने ही क्षतियां पहुंचाई थीं। यह सिद्ध न कर पाने का कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य या सदस्यों ने जिनका नाम राज्य के साक्षियों ने बताया था, विशिष्ट क्षति पहुंचाई थी जिसके परिणामस्वरूप बुधिया की मृत्यु हो गई, परिणाम यह नहीं होगा कि, यदि विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य और इस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया अपराध या जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य सम्भाव्य जानते थे साबित हो जाता है तो भी राज्य का उन व्यक्तियों के विरुद्ध मामला खारिज हो जाएगा जिनके बारे में यह साबित कर दिया गया है कि वे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं।

यदि विधि विरुद्ध किसी जमाव के किसी सदस्य का ऐसा अपराध कारित करने वाले अपराधी के रूप में नाम लिया जाता है जिसके लिए विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के अधीन दण्डनीय हैं और विचारण में साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है कि उस नामित व्यक्ति ने वह कार्य किया है जो कहा जाता है कि उसने किया है तो उसे तब भी सिद्धदोष ठहराया जा सकेगा यदि यह साबित हो जाता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था और यह कि वह कार्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में जमाव के किसी सदस्य द्वारा किया गया था या जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे। हमारा मत तो यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों में नामित अपराधी की उपस्थिति साबित न कर सकने से उन व्यक्तियों की आपराधिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनके बारे में, यह साबित कर दिया गया है कि वे उस जमाव के सदस्य थे—यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के लागू होने की अन्य शर्तें सिद्ध कर दी गई हैं। यदि न्यायालय उन साक्षियों के परिसाक्ष्य को मानने से इन्कार कर देता है जो नामित अपराधी की उपस्थिति और उसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में कहते हैं तो उन साक्षियों के परिसाक्ष्य को दिए जाने वाले महत्व पर, जहां तक वह अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में है, निस्संदेह प्रभाव पड़ेगा, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि उन साक्षियों का जिन्होंने नामित अपराधी द्वारा हमले का अभिसाक्ष्य दिया है, परिसाक्ष्य स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए वे अन्य सदस्य, जिनके बारे में यह साबित कर दिया गया है कि वे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध करने से उत्पन्न होने वाले दायित्व से बच जाएंगे।

उच्च न्यायालय ने यह पाया कि प्रश्नगत दिन में 30 से अधिक व्यक्तियों ने एक विधि

1968(2) eILR(PAT) SC 1

विरुद्ध जमाव किया जिसका सामान्य उद्देश्य माननकी खन्धा के ग्रामवासियों द्वारा निरुद्ध ढोरों को बचाना और जो इसका प्रतिरोध करें उन्हें मार डालना था और यह कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों ने ग्रामवासियों पर हमला किया और सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में उन्होंने ग्रामवासियों को जिनमें बुधिया भी शामिल थी, बुरी तरह से पीटा। यह अपराध ऐसा था जिसका किया जाना सम्भाव्य जाना जाता था। अतः हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के आधार पर किए गए अपराध का दोषी होगा। यह दलील कि अकेले हरिहर गोप का ही उद्देश्य बुधिया को मार डालना था, साक्ष्य के आधार पर ठीक नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष के अनुसार निरुद्ध ढोरों के छुड़ाने का प्रतिरोध करने वाले व्यक्तियों को, पीटने और मार डालने का उद्देश्य विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों का सामान्य उद्देश्य था और यह उद्देश्य प्रचुर साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया था। विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य का सबूत हरिहर गोप की उसमें उपस्थिति पर निर्भर नहीं था। यह सिद्ध न करने से कि हरिहर गोप विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था, हमारे विचार में, उन व्यक्तियों के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिनके बारे में यह साबित कर दिया गया है कि वे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए कार्यों के लिए या जिनका किया जाना उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, उत्तरदायी थे। जब अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति पर सामूहिक रूप से आक्रमण किया जाता है तो प्रायः यह अवधारित करना कठिन हो जाता है कि प्रत्येक अपराधी ने वस्तुतः क्या काम किया। किन्तु उस कारण सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए या जिस अपराध का किया जाना उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, उसके लिए वे व्यक्ति जो सदस्य साबित कर दिए गए हैं अपराध की कोटि में आने वाले कार्य के किए जाने से उद्भूत होने वाले परिणामों से बच नहीं सकते।

अभिलेख पर स्पष्ट साक्ष्य है जिससे यह दर्शित होता है कि बुधिया उन लोगों में से एक थी जिन पर विधि विरुद्ध जमाव ने हमला किया था—जिसके अपीलार्थी और अन्य लोग सदस्य थे। जमाव के सदस्यों द्वारा किए गए हमले में बुधिया तथा अन्य व्यक्ति आहत हुए। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के अनुसार यह अभिनिश्चय नहीं किया जा सकता कि किस अपराधी ने बुधिया को क्षति पहुंचाई। इसका मतलब यह होता है कि बुधिया को क्षतियां उस विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य ने पहुंचाई थीं और यह कि बुधिया की उन क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई। हमारे निर्णय के अनुसार क्योंकि हरिहर गोप के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं था इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए हरिहर गोप के सिवाय अन्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का आदेश अवैध नहीं हो जाता।

अपील विफल होती है और खारिज की जाती है।

अपील खारिज कर दी गई।

ब्रज